

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा

पीठारसीन अधिकारी:-

अशोक कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :-

27/2018

जी.सी.एग.एस. नम्बर :-

2018/00050

वादीगण

बनाग

प्रतिवादी

1. खानूसिंह पुत्र हड़मतसिंह
 2. शेषकरण पुत्र खानूसिंह
 3. ओमप्रकाश पुत्र खानूसिंह
 4. मगराजसिंह पुत्र खानूसिंह
- जाति पुरोहित
निवासी बोटाला पुरोहितान
(चांदेसरा) तहसील पचपदरा
व जिला बालोतरा

1. भीखसिंह पुत्र हड़मतसिंह
2. पुरखा पुत्र किशना
3. निम्बा पुत्र किशना
4. बाबु पुत्र किशना
5. गकू देवा सूजा
6. लाखूसिंह पुत्र जैसला
7. प्रहलादसिंह पुत्र जैसला
8. रूगा पुत्र जामता
9. अमरा पुत्र परयता
10. केशा पुत्र काना
11. भगवानसिंह पुत्र छोगसिंह
12. दुर्गसिंह पुत्र छोगसिंह
13. ओमसिंह पुत्र छोगसिंह
14. थानसिंह पुत्र छोगसिंह
15. कसूम्यी देवा छोगसिंह
16. गोरधनसिंह पुत्र शिवसिंह
17. चन्द्रसिंह पुत्र शिवसिंह
18. मोड़सिंह पुत्र उत्तमसिंह
19. हेमसिंह पुत्र उत्तमसिंह
20. धनसिंह पुत्र उत्तमसिंह
21. जेठूसिंह पुत्र उत्तमसिंह
22. घेवरसिंह पुत्र पुत्र उत्तमसिंह
23. गणेशसिंह पुत्र उत्तमसिंह
24. डाऊसिंह पुत्र उत्तमसिंह
25. पुखराजसिंह पुत्र उत्तमसिंह
26. झम्मूकंवर पत्नि भवानीसिंह
27. दशरथसिंह पुत्र भवानीसिंह
28. पवन पुत्र भवानीसिंह



29.हरकंवर पत्नि मांगीलाल
30.स्वरूपसिंह पुत्र मांगीलाल
31.रणवीरसिंह पुत्र मांगीलाल
32.रेशमसिंह पुत्र मांगीलाल
जाति पुरोहित
निवासी बोटाला पुरोहितान (चांदेसरा)
तहसील पचपदरा व जिला बालोतरा
33.राजस्थान सरकार जरिए
तहसीलदार पचपदरा

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति

- 1.श्री पुनमाराम चौधरी अधिवक्ता वादीगण
- 2.प्रतिवादी एकतरफा।


निर्णय

दिनांक- 31.10.2025

संक्षिप्त में वाद-पत्र के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि सरहद मौजा बोटाला पुरोहितान पटवार क्षेत्र चांदेसरा तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 152,157,162,165 व 697/151 कुल रकबा 147.10 बीघा भूमि के संबंध में प्रस्तुत वाद दिनांक 04.03.2022 को प्राथमिक रूप से स्वीकार कर तहसीलदार पचपदरा को मौके पर जाकर वादग्रस्त भूमि का बाई मिटस एण्ड बाउण्डस अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर भिजवाने हेतु अधिकृत किया गया था। तहसीलदार पचपदरा द्वारा माफिक प्राथमिक डिक्री अनुसार बाई मिटस एण्ड बाउण्डस के आधार पर विभाजन प्रस्ताव तैयार कर उपलब्ध कराया। जिसे उभय-पक्षकारान अधिवक्ता द्वारा विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार किया गया। विभाजन प्रस्ताव मुताबिक वाद डिक्री जारी की जानी उचित प्रतीत होता है।



लिहाजा वादीगण का वाद अंतिम रूप से स्वीकार किया जाकर सरहद मौजा बोटाला पुरोहितान पटवार क्षेत्र चांदेसरा तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 152,157,162,165 व 697/151 कुल रकबा 147.10 बीघा भूमि के संबंध में विभाजन पक्षकारान के मध्य निम्न प्रकार किया जाता है।



सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

क्र. सं.	नाम खातेदारान	गांव का नाम	ख.सं.	क्षेत्रफल (हेक्ट.)	किरम	बचिन्ह
1	खानुसिंह पुत्र हड़मतसिंह जाति पुरोहित सा. चांदेसरा खातेदार	बोटाला पुरोहितान	697 / 151 152 165 157 162	1.18 1.04 1.02 3.04 4.18	बा.दो. बा.दो. बा.दो. बा.दो. बा.दो	हरा
2	शेषकरण,ओमकरण, मगराजसिंह पि. खानुसिंह जाति पुरोहित सा. चांदेसरा खातेदार हि. ब. हि.	बोटाला पुरोहितान	151 151 152 157 162 165	6.14 6.15 8.08 22.05 34.09 7.10	बा.दो. बा.दो. बा.दो. बा.दो. बा.दो	लाल
3	भीखसिंह वल्द हड़वतसिंह पुरखा,बाबू पि. किशना गफू बेवा सूजा लाखूसिंह, प्रहलादसिंह पि. जैसला, रूगा वल्द जामता अमरा वल्द परबता केशा वल्द काना हि. 3/7 भगवानसिंह, दुर्गसिंह, ओमसिंह, थानसिंह पि. छोगसिंह मु. कसुम्बी बेवा छोगसिंह गोरधनसिंह चन्द्रसिंह पि. शिवसिंह मोड़सिंह, हेमसिंह धनसिंह, जेटूसिंह, घेवरसिंह, गणेशसिंह, डाउसिंह, पुखराजसिंह पि. उतमसिंह झमूकंवर बेवा भवानीसिंह दशरथसिंह, पवन ना.बा. की वली माता झमूकंवर बेवा भवानीसिंह हरकंवर बेवा मांगीलाल स्वरूपसिंह, रणवीरसिंह, रमेशसिंह उर्फ रमेशकुमार पि. मांगीलाल हि. 4/7 कौम पुरोहित सा. चांदेसरा खातेदार।	बोटाला पुरोहितान	151 151 152 157 162 165	6.14 6.15 8.08 22.05 34.09 7.10	बा.दो. बा.दो. बा.दो. बा.दो. बा.दो	बैगनी




सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

तहसीलदार पचपदरा को आदेशित किया जाता है, कि वह उपरोक्तानुसार नामान्तकरण
भरकर वाद जांच तस्दीक करें, संलग्न नामान्तकरण की पुस्त पर तरमीम अंकित करे, राजस्व
रिकॉर्ड में विधिवत रूप से अमल दरामद की कार्यवाही करें। विभाजन नक्शा इस निर्णय का
अभिन्न अंग होगा। डिग्री पर्चा मुर्तिव जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना - अपना वहन करें।


(अशोक कुमार)
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) बालोतरा

निर्णय आज दिनांक 31/10/2025 को लिखा जाकर सरें इजलास सुनाया गया।




सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) बालोतरा 31/10/2025

मूलवाद में अंतिम डिक्री
न्यायालय उप खण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा
पीठासीन अधिकारी:- अशोक कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :- 27/2018

जी.सी.एम.एस. नम्बर :- 2018/00059

वादीगण

बनाम

प्रतिवादी

1. खानूसिंह पुत्र हड़मतसिंह

2. शेषकरण पुत्र खानूसिंह

3. ओमप्रकाश पुत्र खानूसिंह

4. मगराजसिंह पुत्र खानूसिंह

जाति पुरोहित

निवासी बोटाला पुरोहितान(चांदेसरा)

तहसील पचपदरा व जिला बालोतरा

1. भीखसिंह पुत्र हड़मतसिंह

2. पुरखा पुत्र किशना

3. निम्बा पुत्र किशना

4. बाबु पुत्र किशना

5. गकू बेवा सूजा

6. लाखूसिंह पुत्र जैसला

7. प्रहलादसिंह पुत्र जैसला

8. रूगा पुत्र जामता

9. अमरा पुत्र परबता

10. केशा पुत्र काना

11. भगवानसिंह पुत्र छोगसिंह

12. दुर्गसिंह पुत्र छोगसिंह

13. ओमसिंह पुत्र छोगसिंह

14. थानसिंह पुत्र छोगसिंह

15. कसूम्बी बेवा छोगसिंह

16. गोरधनसिंह पुत्र शिवसिंह

17. चन्द्रसिंह पुत्र शिवसिंह

18. मोड़सिंह पुत्र उत्तमसिंह

19. हेमसिंह पुत्र उत्तमसिंह

20. धनसिंह पुत्र उत्तमसिंह

21. जेठूसिंह पुत्र उत्तमसिंह

22. घेवरसिंह पुत्र पुत्र उत्तमसिंह

23. गणेशसिंह पुत्र उत्तमसिंह

24. डाऊसिंह पुत्र उत्तमसिंह

25. पुखराजसिंह पुत्र उत्तमसिंह

26. झम्मूकंवर पत्नि भवानीसिंह



सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

27.दशरथसिंह पुत्र भवानीसिंह
 28.पवन पुत्र भवानीसिंह
 29.हरकंवर पत्नि गांगीलाल
 30.स्वरूपसिंह पुत्र गांगीलाल
 31.रणवीरसिंह पुत्र गांगीलाल
 32.रेशमसिंह पुत्र गांगीलाल
 जाति-पुरोहित
 निवासी बोटाला पुरोहितान (चांदेसारा)
 तहसील पचपदरा व जिला बालोतरा
 33.राजस्थान सरकार जरिए
 तहसीलदार पचपदरा

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा:-53,188 आर.टी.एक्ट

मुकदमा नम्बर : 27/2018

निर्णय दिनांक :-31.10.2025

वादी की ओर से श्री पुनमाराम चौधरी अधिवक्ता की उपस्थिति व प्रतिवादी एकतरफा,इस वाद में आज तारीख 31.10.2025 को श्री अशोक कुमार (नाम पीठासीन अधिकारी) उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर,निर्णय किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि:-वादीगण का वाद अंतिम रूप से स्वीकार किया जाकर निर्णय दिनांक 31.10.2025 मे अंकित अनुसार भूमि उनकी खातेदारी में पृथक से धोषित की जाती है। तहसीलदार पचपदरा को आदेश दिए जाते है,कि वह मुताबिक निर्णय अनुसार नियमानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाना सुनिश्चित करावें। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 31.10.2025 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।



(अशोक कुमार)
 सहायक कलक्टर
 (एस.डी.ओ.)बालोतरा

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादीगण	
	रूपया		रूपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प		1. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		2. अर्जी के लिए स्टाम्प	
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		3. प्लीडर की फीस	
4.रूपये पर प्लीडर की फीस		4. साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	
5. साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय	-----	5. आदेशिका की तामिल	
6. कमिश्नर की फीस		6. कमिश्नर की फीस	
7. आदेशिका की तामिल			
	जोड़		जोड़
	-----		-----



[Signature]
सहायक क्लर्क
(एस.डी.ओ.) बालोतरा

